

उत्तर प्रदेश शासन
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3
संख्या-768/8-3-18-65 विविध/2016 टी0सी0
लखनऊ : दिनांक 31 मई, 2018

विज्ञप्ति

विषय:- उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण में **अध्यक्ष एवं सदस्यों** के पदों पर नियुक्ति।

उ0प्र0 रियल स्टेट अपील अधिकरण के **अध्यक्ष एवं सदस्यों** के पदों पर भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार नियुक्ति की जानी है।

2- उ0प्र0 रियल स्टेट अपील अधिकरण में अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के संबंध में पूर्व में शासन के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-150/8-3-18-65 विविध/2016 टी0सी0 ॥ दिनांक 02.02.2018 तथा विज्ञप्ति संख्या-278/8-3-18-65 विविध/2016 टी0सी0 दिनांक 07.03.2018 के माध्यम से तथा उ0प्र0 भू-सम्पदा अपील अधिकरण में **तीन सदस्य** (जिसमें से कम से कम 1 न्यायिक सदस्य तथा 1 प्रशासनिक/तकनीकी सदस्य होगा) हेतु विज्ञप्ति संख्या-65/8-3-18-65 विविध/2016 टी0सी0 दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किये गये थे। इसी क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उक्त पदों पर चयन हेतु पुनः आवेदन पत्र मांगे जाने का निर्णय लिया गया है।

भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-43(1) में निम्न प्राविधान है :-

"43.(1) The appropriate Government shall, within a period of one year from the date of coming into force of this Act, by notification, establish an Appellate Tribunal to be known as the—(name of the State/Union territory) Real Estate Appellate Tribunal."

3- उक्त अधिनियम, 2016 में अपील अधिकरण के कम्पोजीशन की निम्न व्यवस्था है :-

"45. The Appellate Tribunal shall consist of a Chairperson and not less than two whole time Members of which one shall be a Judicial member and other shall be a Technical or Administrative Member, to be appointed by the appropriate Government."

4- अपील अधिकरण के अध्यक्ष की अर्हता एवं नियुक्ति के संबंध में अधिनियम की धारा-46 में निम्नवत् प्राविधान है :-

"46. (1) A person shall not be qualified for appointment as the Chairperson or a Member of the Appellate Tribunal unless he,-

(a) in the case of Chairperson, is or has been a judge of a High court;

5- अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष को वेतन और भत्ते उ0प्र0 भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के नियम-27 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

6- भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा-46 में अपील अधिकरण के **सदस्यों** की अर्हता एवं नियुक्ति की व्यवस्था निम्नवत् है :-

(b) in the case of a Judicial Member he has held a judicial office in the territory of India for at least fifteen years or has been a member of the Indian Legal Service and has held the post of Additional Secretary of that service or any equivalent post, or has been an advocate for at least twenty years with experience in dealing with real estate matters; and

(c) in the case of a Technical or Administrative Member, he is a person who is well-versed in the field of urban development, housing, real estate development, infrastructure, economics, planning, law, commerce, accountancy, industry, management, public affairs or administration and possesses experience of at least


twenty years in the field or who has held the post in the Central Government, or a State Government equivalent to the post of Additional Secretary to the Government of India or an equivalent post in the Central Government or an equivalent post in the State Government.

7- अपीलीय अधिकरण के सदस्यों को वेतन और भत्ते उ०प्र० भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली-2016 के नियम-27 में वर्णित प्राविधानों के अनुसार देय होंगे।

8- अपील अधिकरण में **अध्यक्ष एवं सदस्यों** की नियुक्ति, पदावधि, सेवा शर्तें, शक्तियाँ एवं कार्य तथा पद से हटाया जाना आदि भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अध्याय-7 एवं उ०प्र० भू-सम्पदा (विनियमन एवं विकास) नियमावली, 2016 के अध्याय-7 में वर्णित है। उक्त अधिनियम, 2016 तथा नियमावली, 2016 को आवास बन्धु, उ०प्र० की वेबसाइट www.awasbandhu.in पर अवलोकित किया जा सकता है।

9- उक्त मानदण्ड पूरा करने वाले इच्छुक मा० सेवारत अथवा पूर्व न्यायाधीश तथा सदस्य पद की अर्हता पूर्ण करने वाले इच्छुक व्यक्ति आवेदन-पत्र के निर्धारित प्रारूप को आवास बन्धु, उ०प्र० की वेबसाइट www.awasbandhu.in से डाउनलोड कर पूर्ण आवेदन-पत्र वांछित अभिलेखों सहित आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3 की **e-mail-awas.sahari@yahoo.in** पर दिनांक **21.06.2018** समय सांय **05:00 बजे** तक भेज सकते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों के पदों हेतु **पृथक-पृथक** आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत किये जायें तथा सदस्य पद हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाय कि इच्छुक व्यक्ति **न्यायिक/तकनीकी/प्रशासनिक** पदों में से किस पद हेतु आवेदन किया गया है। दिनांक 21.06.2018 को सांय 05:00 बजे के बाद प्राप्त होने तथा अपूर्ण आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

नोट:- जिन आवेदकों द्वारा पूर्व में उ०प्र० रियल स्टेट अपील अधिकरण के **अध्यक्ष तथा सदस्य** पदों पर आवेदन किया जा चुका है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।


(अमिताभ प्रकाश)
विशेष सचिव।

उ०प्र० भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में अध्यक्ष पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

- (i) आवेदक का नाम-
- (ii) पिता का नाम-
- (iii) जन्म तिथि (DD/MM/YY)-
- (iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (YY /MM/DD)-
- (v) लिंग- (पुरुष/महिला)
- (vi) ई-मेल आई डी-
- (vii) आधार नं०-
- (viii) शैक्षिक योग्यता-
- (ix) मो०नं०-
- (x) पत्राचार का पता
- (xi) स्थायी पता-
- (xii) मा० उच्च न्यायालय में धारित न्यायाधीश पद की अवधि का विवरण-
- (xiii) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण-
- (xiv) भू-सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा-47(2) के अन्तर्गत घोषणा-

पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो
स्वहस्ताक्षर
सहित

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा०द०वि०, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी हों/होऊंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

नोट:- सम्बन्धित अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न करें।

उ0प्र0 भू-सम्पदा अपीलीय अधिकरण में सदस्य पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदित पद का नाम-

- (i) आवेदक का नाम-
- (ii) पिता का नाम-
- (iii) जन्म तिथि (DD/MM/YY)-
- (iv) दिनांक 30.06.2018 को आयु (YY /MM/DD)-
- (v) लिंग- (पुरुष/महिला)
- (vi) ई-मेल आई डी-
- (vii) आधार नं0-
- (viii) शैक्षिक योग्यता-
- (ix) मो0नं0-
- (x) पत्राचार का पता
- (xi) स्थायी पता-
- (xii) सेवा विवरण-
 - * (क) धारित सेवा एवं अवधि-----
 - (ख) अनुभव (विस्तृत विवरण अंकित करें)-----
 - (ग) विशेषज्ञता क्षेत्र -----
- (xiii) अंतिम ग्राह्य वेतनमान-----
- (xiv) प्रथम सूचना रिपोर्ट (यदि कोई हो) का विवरण-
- (xv) भू-सम्पदा विनियमन और विकास अधिनियम, 2016 की धारा-47(2) के अन्तर्गत घोषणा-

पासपोर्ट साइज
नवीनतम फोटो
स्वहस्ताक्षर
सहित

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त लिखित शैक्षिक एवं अन्य अर्हता सम्बन्धी सूचनायें मेरी जानकारी में पूर्ण एवं सत्य हैं। यदि कोई दी गई सूचना सही नहीं पायी जाती है तो अभ्यर्थन निरस्त समझा जायेगा। मैं मिथ्या विवरणों/तथ्यों को देने के परिणामों से भली-भांति अवगत हूँ। यदि आवेदन पत्र में दिये गये कोई विवरण/तथ्य मिथ्या पाये जाते हैं तो मैं, मेरे विरुद्ध भा0द0वि0, 1960 की धारा-199 व 200 एवं प्रभावी किसी अन्य विधि के अन्तर्गत अभियोजन एवं दण्ड के लिए, स्वयं उत्तरदायी होंउंगा/होउंगी।

मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मेरे द्वारा की गयी दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण या घोषणा गलत पायी जाती है या मेरे द्वारा गलत दस्तावेजों का स्व-प्रमाणीकरण किया जाता/गया है, तो मेरे द्वारा प्राप्त की गयी सभी प्रकार की सुविधा तत्काल वापस ले ली जाए।

स्थान-

दिनांक-

आवेदक के हस्ताक्षर

- * भारतीय विधिक सेवा के अधिकारी उक्त सेवा में "अपर सचिव" या उसके समतुल्य धारित पद का उल्लेख करें।
- * तकनीकी/प्रशासनिक सदस्य पद के आवेदक भारत सरकार में "अपर सचिव" या राज्य सरकार में उसके समतुल्य धारित पद का विवरण अंकित करें तथा धारित पद भारत सरकार अथवा राज्य सरकार में अपर सचिव पद से किस प्रकार समतुल्य है, भी स्पष्ट करें।